दैनिक भास्कर
बिलासपुर 19-07-2025

भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला

गिरफ्तार चार आरोपियों को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला में जेल में बंद चार आरोपियों की नियमित जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। सभी आरोपी पिछले तीन माह से रायपुर जेल में बंद थे। केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई।

भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक करीब 463 किमी लंबी नई फोरलेन सड़क बनाई जा रही है। इस मामले में आरोप है कि मिलीभगत कर पहले से अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए दोबारा बेच दिया और करोड़ों रुपए का मुआवजा वसूल लिया। जमीन को टुकड़ों में बांटकर एनएचएआई को 78 करोड़ का भुगतान दिखाया गया। एसडीएम, पटवारी और भू-माफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट पर दस्तावेज बनाकर घोटाला किया। को अंजाम दिया। मामले की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में विजय कुमार जैन, हरमीत सिंह खनूजा, उमा तिवारी और केदार तिवारी को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। चारों ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।

ये हैं जमानत की शर्तें

- आरोपी सबूत पेश होने की तारीख पर कोई टाल-मटोल नहीं करेंगे।
- हर सुनवाई में व्यक्तिगत या वकील के जरिए उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- गैरहाजिरी की स्थिति में न्यायालय धारा 269 व 209 के तहत कार्रवाई कर सकता है।
- प्रकरण की शुरुआती सुनवाई, आरोप तय करने और बयान दर्ज कराने की तारीखों पर अदालत में स्वयं उपस्थित रहना होगा।